न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः राजवीर सिंह चौधरी, अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 18/2016, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,दौसा जिला दौसा।

<u>बनाम</u>

2. श्री इमामुद्दीन पुत्र बशीर खॉ जाति मुसलमान निवासी खेडला बुजुर्ग थाना सलैमपुर जिला दौसा

<u>कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975</u>

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति : लोक अभियोजक – पैरोकार सरकार उपस्थित।
: इमामुद्दीन पुत्र बशीर खॉ – गैरसायल उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः– 16.07.2018

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना सलैमपुर जिला दौसा की ओर से मार्फत पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा कि गैर सायल श्री इमामुद्दीन पुत्र बशीर खॉ जाति मुसलमान निवासी खेडला बुजुर्ग थाना सलैमपुर जिला दौसा का रहने वाला है अपराध करने में सक्रिय है जिसके विरूध थाना सलैमपुर व थाना महवा मे दर्ज अभियोग है। थाना हाजा के चार प्रकरणों में न्यायालय द्वारा सजायाब हो चुका है। उक्त अपराधी जुआ अधिनियम सम्बन्धी अपराध करने का आदि है। वर्ष 2013 से 2015 तक की अवधि में निम्नलिखित प्रकरणों में गैर सायल न्यायालय के द्वारा सजायाब हुआ है। जिसका उल्लेख निम्न प्रकार है।

1– मु0नं0 15/2000 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. थाना सलेमपुर
2– मु0नं0 46/2000 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. थाना सलेमपुर
3– मु0नं0 85/2000 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. थाना सलेमपुर
4– मु0नं0 16/2004 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. थाना सलेमपुर
5– मु0नं0 15/2004 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. थाना सलेमपुर
6– मु0न0 147/2014 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. थाना सलेमपुर
7– मु0नं0 136/2015 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. थाना सलेमपुर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

प्रकरण संख्या : 18/2016, गुण्डा एक्ट

उपरोक्त प्रकरणों का विवरण देते हुए गैरसायल को धारा 3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत दौसा जिला की सीमा से बाहर निष्कासित करने की प्रार्थना की है। इस्तगासा दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। गैर सायल उपस्थित हुआ। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल के विरूद्ध दर्ज अभियोगों के संबंध में थानाधिकारी थाना सलैमपुर की रिपोर्ट में बताया कि गैरसायल के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पेश इस्तगासा में गैर सायल द्वारा सात बार अपराध कारित किया गया है। गैरसायल थाना क्षेत्र थाना सलैमपुर में जुआ–सट्टा करता है एवं अन्य व्यक्तियों को भी जुआ–सट्टा हेतु प्रेरित कर वातावरण को दूषित करता है। गैर सायल की गतिविधियों से समाज में नई पीढी पर गलत असर पड़ रहा है तथा आम जनता की सम्पत्ति व सुरक्षा को खतरा है। इस कारण क्षेत्र में अशान्ति होने का भी खतरा है। श्री इमामुद्दीन पुत्र बशीर खॉ जाति मुसलमान निवासी खेडला बुजुर्ग थाना सलैमपुर जिला दौसा के इलाके में रहने से जुआ–सट्टा के दुष्प्रेरण एवं शान्ति भंग होने का अंदेशा है। इसके विपक्ष कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देने में कतराता है समाज में इनका भय बना हुआ है गांव में सद्भावना का वातावरण व शान्ति बनाये रखना आवश्यक है। गैर सायल की अपराधिक गतिविधियों के कारण धारा 2(ख)(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। अतः धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत दौसा ज़िला की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गैर सायल ने जवाब बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी अब मेहनत मजदूरी करके अपना जीवनयापन कर रहा है तथा उपरोक्त गतिविधियों में शामिल नहीं है। प्रार्थी के खिलाफ संगीन किस्म का आरोप नहीं है। प्रार्थी के खिलाफ धारा 13 आरपीजीओ के केस है इन केसों का निर्णय भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जावे।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया लोक अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया । ऐसी स्थिति में गैर सायल के विरूद्ध इस्तगासें में लगाए गए आरोपों को साबित माना जाने के अलावा कोई विकल्प इस न्यायालय के समक्ष शेष नहीं रहता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इलाका हाजा में कानून व्यवस्था व सद्भावना एवं शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसे समाज कंटकों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे समाज कंटक अपनी कार गुजारियों के द्वारा इलाका हाजा के माहौल को खराब नहीं कर सके। गैर सायल के खिलाफ सात प्रकरण दर्ज हुए है जिनमें गैर सायल श्री इमामुद्दीन पुत्र बशीर खॉ जाति मुसलमान निवासी खेडला बुजुर्ग थाना सलैमपुर जिला दौसा उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा एक्ट की श्रेणी में आता है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

प्रकरण संख्या : 18/2016, गुण्डा एक्ट

उपरोक्त विवेचन के आधार पर गैर सायल श्री इमामुद्दीन पुत्र बशीर खॉ जाति मुसलमान निवासी खेडला बुजुर्ग थाना सलैमपुर जिला दौसा को दिनांक 17.07.2018 से 30 दिन की समयावधि के लिए थाना सलैमपुर जिला दौसा की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि थाना क्षेत्र लालसोट में निवास करते हुए अपनी उपस्थिति थानाधिकारी लालसोट जिला दौसा को दर्ज करवाएगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं थाना अधिकारी लालसोट जिला दौसा आदेश की पालना सुनिश्चित करावें। संबंधित को तहरीर जारी हो ।

यह निर्णय आज दिनांक 16.07.2018 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official